संख्या क0नि0 -5-6330(1)/11-2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर 2000

महोदय,

कृपया शासन द्वारा समय समय पर स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में दिये गये संदर्भ ग्रहण करना चाहे |

2- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद आज भी लम्बित हैं, जिससे पक्षकारों को परेशानी होने के साथ साथ सरकार को प्राप्त होने वाले स्टाम्प राजस्व की एक बड़ी धनराशि भी अप्राप्त बनी हुई है। राज्य हित में इन स्टाम्पवादों का शीघ्रता से निस्तारण किया जाना अतिआवश्यक है। अभी हाल ही में प्रदेश के स्तर पर सभी जनपदों के केन्द्रीय मिसिलबंद रजिस्टर से प्रत्येक जनपद के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित स्टाम्प वादों की सूची का मिलान करवाया गया है, जिससे आशा है कि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी।

3- स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाद में आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण आदि की कार्यवाही शीघ्र पूरी हो और आख्या पीठासीन अधिकारी को मिल जाये। इसके बाद ही उभयपक्ष को सुनकर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इस संबंध में शासन का मत है कि यदि एक पीठासीन अधिकारी के पास किसी क्षेत्र विशेष के ही स्टाम्प वाद आवंटित किये जायेगे तो इससे स्थल निरीक्षण कराने में तथा निर्णय लेने में शीघ्रता होगी। ऐसा करने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी स्वयं अथवा किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से मुहल्लेवार अधिकाधिक स्टाम्पवादों के बारे में एक साथ स्थल निरीक्षण करा सकेगें। उपरोक्त को देखते हुए शासन द्वारा यह निर्देश दिये जाते है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय क्षेत्रों से संबंधित जो भी स्टाम्प वाद लम्बित हैं और विभिन्न न्यायालयों में जिनकी सुनवाई हो रही है उन्हें सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों के मध्य इस प्रकार से पुनरावंटित कर दिया जाय कि प्रत्येक अधिकारी के पास नगर के विशेष संबंधित हिस्से के सारे मुकदमें इकट्ठा हो जाये। इस प्रक्रिया को करते समय नगर के भीतर जो पीठासीन अधिकारी स्टाम्प वादों की सुनवाई करते हैं, उनके क्षेत्र निर्धारित करने होगें एवं तद्नुसार वादों का पुनरावंटन करना होगा। ऐसा करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी मुहल्लेवार स्थल निरीक्षण कराकर स्टाम्पवादों के निस्तारण का एक सघन अभियान चलायेगें। यह अभियान 5 दिसम्बर 2000 से 31 जनवरी 2001 तक चलाया जायेगा। जो पीठासीन अधिकारी अपने मुकदमें शीघ्र निस्तारित कर लेगें उन्हे अन्य क्षेत्र के स्टाम्पवाद पुनः आवंटित किये जा सकते है ताकि अधिकाधिक निस्तारण हो सके।

4- उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के संबंध में प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11 दिसम्बर 2000 को 10:15 बजे महानिरीक्षक निबंधन के शिविर कार्यालय विश्वास मार्केट, विश्वास खण्ड-3 गोमती नगर, लखनऊ में समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की एक बैठक आयोजित की जा रही है। कृपया अपने जनपद के नगर सीमा के पीठासीन अधिकारीयों के क्षेत्र विभाजन व स्टाम्पवादों के पुनरावंटन के प्रस्ताव सहित योजना पर विचार करने के लिए उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने का कष्ट करें।

भवदीय

(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव